न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–05,जनपद कानपुर देहात।

UPRN010029572026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1080/2026

राहुल कटियार उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्र रामआसरे, निवासी–ग्राम 24A नानकारी आई.टी.आई., थाना कल्यानपुर, जनपद कानपुर नगर।

---आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---अभियेाजन।

मु.अ.सं.–215/2025,
धारा–303(2) बी.एन.एस.,
थाना–शिवली, जिला–कानपुर देहात।

1. आवेदक/अभियुक्त राहुल कटियार की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मु.अ.सं.–215/2025, अन्तर्गत धारा–303(2) बी.एन.एस., थाना शिवली, जिला कानपुर देहात, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा जमानत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रेशू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र रविन्द्र सिंह की दो भैंस दिनांक 06.07.025 घर से चोरी हे गयी थी। उसने काफी खोज बीन की तो पता चला कि उक्त चोरी मटरू कुईया टच तथा जावेद ने की है। सभी लोग ग्राम मटियामाऊ थाना अकबरपुर के निवासी है। वह मटियामऊ थाना अकबरपुर गया। ग्राम में कुछ लोगो ने बताया कि पूर्व प्रधान किशनपाल यादव से मिलो। उक्त प्रधान से मिला तो प्रधान किशनपाल यादव ने जावेद को बुलाकर पूँछताछ की तो जावेद ने बताया कि भैंसे तो चोरी करके लेकर आयी है। लेकिन तुमको मिलेगी नहीं। किन्तु प्रधान द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक दिन के बाद आना भैंसे तुमको वापस मिल जायेगी। पुनः एक दिन बाद आना। तुमको फोन करेंगे। उसके पास प्रधान का फोन नहीं आया और उसका फोन काट रहा है। वादी की भैसो की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

4. जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। एफआईआर में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त पिकअप ड्राईवर है, कल्यानपुर कानपुर नगर पर भाड़े वास्ते खड़ा था,तभी अभियुक्त कल्लू उसके पास आया और कहा कि शिवली से भाड़ा लाना है,भाड़ा लेने शिवली गया। जहां कल्लू के अन्य साथी भी मिले,वहां पुलिस आयी और उन्हें गिरफ्तार कर ले गयी और नाजायज धन की मांग की, मांग पूरी ना होने पर मु.अ.सं.–36/26, 428/25,

Digitally signed by POONAM SINGH
Date: 2026.05.22 16:16:10 IST
Reason: ADJ-V
Location: District and Sessions Court
Kanpur Dehat

395/25, 215/25 में अभियुक्त नामित कर दिया। अभियुक्त के पास से किसी भी वस्तु की बरामदगी नहीं हुयी है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त दिनांक 25.01.26 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मुकदमें मे सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और माननीय न्यायालय के बुलाने पर समय से न्यायालय उपस्थित आयेगा तथा माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करेगा। उपरोक्त आधारों पर उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5. दौरान बहस अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियुक्त की प्रश्नगत अपराध में कोई भूमिका नहीं रही है। अभियुक्त के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।

6. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

7. उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वाद विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। विचारण में समय लगेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत करायी गयी थी तथा दो अदद भैंस की चोरी का आरोप है। भैंसों की शिनाख्त के संबंध में प्रस्तुत तथ्य साक्ष्य का विषय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध नामजद एफआईआर नहीं है। दौरान विवेचना नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त स्थानीय निवासी है। दौरान विवेचना/विचारण उनके अन्यत्र पलायन की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण के गुण/दोष पर कोई टिप्पणी ना करते हुए मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राहुल कटियार का जमानत प्रार्थनापत्र, मु.अ.सं.-215/2025, अन्तर्गत धारा-303(2) बी.एन.एस., थाना शिवली, जिला कानपुर देहात, के अपराध में निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है-

अभियुक्त द्वारा मु०-50,000/-रूपये की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए-

आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा। अभियुक्त साक्ष्य की कार्यवाही के समय पूर्ण सहयोग करेगा।

दिनांक-22.05.2026

(पूनम सिंह-I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं.-5, कानपुर देहात।